रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2015/आश्विन 28, 1937
No. 650]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2015/ASVINA 28, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 797(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) और निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2009 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल में सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) तथा निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) तथा सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**––इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन पद**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक)	30* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	9300–34,800 रु. और 4800 रु. ग्रेड वेतन	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : ऐसा निरीक्षक (हिंदी अनुवादक), जिन्होंने केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल में उस श्रेणी में दो वर्ष की अन्यून की नियमित सेवा की है और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) के लिए विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थान से सफलतापूर्वक पूर्ण किया हुआ हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से दो या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
<u>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)</u> : 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल – **अध्यक्ष** 2. दो कमान्डेंट, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल – **सदस्य : 1 और 2**	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)	65* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	9300—34,800 रु. और 4600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
तीस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (सिवाय अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो और ; **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रही हो और ; **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो और ; **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक विषय और अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में दूसरे विषय के साथ स्नातक की डिग्री तथा हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी सम्मिलित हैं, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए और ; (ii) **शारीरिक मानदंड :**

ऊँचाई	पुरूष	स्त्री
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सिवाय अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए	165 सेमी.	155 सेमी.
छूट : गढ़वाली, कुँमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्गों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नगालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू—कश्मीर से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सेमी.	150 सेमी.
अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सेमी.	150 सेमी.

सीना (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए)

	साधारण (अनुसूचित	अनुसूचित जनजाति के

	जाति/पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों सहित)	अभ्यर्थियों के लिए
बिना फुलाए	77 सेंमी	76 सेंमी
फुलाने पर	82 सेंमी	81 सेंमी

वजन : चिकित्सा मानदंडों के अनुरूप ऊँचाई और आयु के अनुसार (पुरूष और स्त्री अभ्यर्थियों के लिए) ;

(iii) **चिकित्सा मानदंड :**
(क) **दृष्टि शक्ति** • – दोष सुधार यानि चश्मा या लैंस धारण किए बिना एक ऑख की दूर की नजर 6/6 और दूसरी ऑख की 6/9 होनी चाहिए।

(ख) उम्मीदवारों के घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, चपटे पांव, भेंगी आंखें या वेरीकोस वेन्स नहीं होनी चाहिए, उनकी वर्ण दृष्टि उच्च होनी चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ किसी अन्य ऐसे शारीरिक विकृति से मुक्त होने चाहिए जो कुशलतापूर्वक उनके दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(क) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और (ख) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनिुक्ति/कें.रि.पु. बल/केन्द्रीय/राज्य पुलिस संगठन के योद्यक अननुसचिवीय कर्मचारिवृन्द में से आमेलन द्वारा– (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, और ; (ii) जिन्होंने 9300–34800 रु. और 4200 रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और ; (iii) जिन्होंने 5200–20200 रु. और 2800 रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान या समतुल्य में उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की हो और ; (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट की गई शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। **टिप्पण 3 :** प्रतिनिुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण/परिवीक्षा अवधि के लिए) में निम्न होंगे 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल – **अध्यक्ष** 2. दो कमान्डेंट, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल – **सदस्य 1 और 2**	लागू नहीं होता

[सं. आर. 9–1/2015–मिन–डी.ए.–3]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2015

G.S.R. 797(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Subedar Major (Hindi Translator) and Inspector (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2009, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Subedar Major (Hindi Translator) and Inspector (Hindi Translator), in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay. –** The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. –** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   Shall not be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Subedar Major (Hindi Translator)	30* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4800	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion	Inspector (Hindi Translator) who have rendered not less than two year's regular service in the grade in the Central Reserve Police Force and successful completion of training from recognised institute specified for the post of Subedar Major (Hindi Translator). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force – Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force – Member I and II	Not applicable

Name of the Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Inspector (Hindi Translator)	65* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	Thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	(i) Master's Degree from a recognised University in Hindi or English with English and Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level and ; OR Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of two as medium of examination and other as compulsory or elective subject at degree level and ; OR Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with English or Hindi medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject

<table>
<tr><th>Name of the Post</th><th>Number of posts</th><th>Classification</th><th>Scale of pay</th><th>Whether selection post or non-selection post.</th><th>Age limit for direct recruits</th><th>Educational and other qualification required for direct recruits</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</td><td>or as medium of examination at degree level and ;

OR

Bachelor’s Degree of a recognised University with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of two as medium of examination and other as compulsory/elective subjects plus a recognised Diploma Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central/State Government Offices including Government of India Undertaking and ;

(ii) Physical standard :
<table>
<tr><td>Height</td><td>Male</td><td>Female</td></tr>
<tr><td>For all candidates except the Scheduled Tribes candidates</td><td>165
cms</td><td>155 cms</td></tr>
<tr><td>Relaxation: Candidates falling in the categories of Garhwalies, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Mehgalaya, Assam Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir</td><td>162.5
cms</td><td>150
cms</td></tr>
<tr><td>All candidates belonging to the Scheduled Tribes</td><td>162.5
cms</td><td>150
Cms</td></tr>
<tr><td colspan="3">Chest (for male candidates only)</td></tr>
<tr><td></td><td>General (including Scheduled Castes/ Backward Castes)</td><td>Scheduled Tribes</td></tr>
<tr><td>Unexpended</td><td>77 cms</td><td>76 cms</td></tr>
<tr><td>Expended</td><td>82 cms</td><td>81 cms</td></tr>
<tr><td colspan="3">Weight: Corresponding to height and age as per medical standards (For males and Females) and ;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Name of the Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(iii) Medical Standard : Eye Sight.- The minimum distant vision should be 6/6 in one eye and 6/9 in other eye without correction i.e. without wearing of glasses or lenses. Candidates must not have knock knee, flat foot, squint in eyes or varicose vein and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	(a) 80% by direct recruitment and (b) 20% by deputation/absorption.	Deputation/absorption from amongst combatised Ministerial staff of Central Reserve Police Force/Central/ State Police organisation holding: (a) (i) analogous post on a regular basis and ; OR (ii) Posts in the pay scale of Rs. 9300-34800 plus Rs. 4200 Grade pay or equivalent with five years regular service in the grade and ; (iii) Posts in the pay scale of Rs. 5200-20200 plus Rs. 2800 Grade pay or equivalent with eleven year's regular service in the grade and ; (b) Possessing educational qualification as specified in column 7 for direct recruits. **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation/ completion of probation) : 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force —Chairman ES2. Two Commandants, Central Reserve Police Force —Member I and II	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			applications.		

[No. R.IX-1/2015-Min-DA-3]

DINESH MAHUR, Director (Pers.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.